न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 61/2017

1. राममूर्ति पत्नी राजाराम
2. प्रेम पुत्र राजाराम
3. बिन्दु पुत्री राजाराम
4. दलीप पुत्र राजाराम

जाति बिश्नोई निवासी चक 3ई छोटी, गली नम्बर 5, श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. अनुसुईया पत्नी गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुशहर दिनांक 08.05.2017

उपस्थितिः–

श्री प्रदीप सिहाग, अभिभाषक अपीलांट

श्री बलवंत बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धू , राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 12.03.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प सादुलशहर के समक्ष कॉलोनी कंडीशन की शर्त सं. 8(2) के तहत प्रा.पत्र पेश कर चक 2 एस.डी.एस. के प.नं. 66/119 मु.नं. 21 के कि.नं. 21 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चित 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी राजाराम ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रा.पत्र पेश किया है। इस भूमि पर उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे। सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सादुलशहर ने दिनांक 30.11.2011 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश होने पर दिनांक 22.06.2015 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने के पश्चात अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 08.05.2017 को आवेदित रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वर्तमान में राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के प्रावधान लागू हो चुके हैं। अधी. न्यायालय ने उक्त प्रावधानों को नजरअन्दाज रखते हुए एवं रिमाण्ड आदेशों की पालना किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधी. न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत किया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 08.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें रेस्पो. का प्रा.पत्र अन्तर्गत कोलोनाइजेशन कंडीशन 8(2) जनरल कंडीशन नियम 1955 के तहत स्वीकृत कर रास्ता स्वीकृत किया है जबकि अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट को नहीं सुना गया। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलाधीन आदेश मूल रूप से अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2011 की अपील इस न्यायालय में पेश होने पर, इस न्यायालय द्वारा अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.11.2011 निरस्त कर प्रकरण हाजा की रेस्पों. के लिए रास्ते की

12/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

स्वीकृति की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जिसकी पालना में अधी. न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसका कियात्मक हिस्सा है कि प्रा.पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 2 एस.डी.एस. खाता सं. 76.1/63 प.नं. 66/119 मु.नं. 21 कि.नं. 21 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा अर्थात 0.025है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार उक्त किला में कुल 2 बिस्वा रास्ता में प्रयुक्त होने वाली भूमि की गणना करके उसकी डी.एल.सी. रेट की दुगुनी रेट से राशि प्रार्थी से जमा करवाई जावे। उक्त राशि जमा होने पर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर रास्ता का गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन करे एवं जमाशुदा राशि अप्रार्थीगण को लौटाई जावे।

प्रा.पत्र राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलोनी) कंडीशन नियम 1955 के तहत पेश हुआ मगर निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सन्दर्भ विधि धारा 251ए व इसकी कियान्वति हेतु बने नियम राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम) संशोधन 2012 के नियम 70 के अनुसार तो निर्णय पारित किया मगर अन्य आज्ञापक प्रावधान नियम 69 की पालना नहीं की गई। अतः अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत दर्ज कर इसकी कियान्वति हेतु बने Mandatory नियम 68 से 70 की पालना कर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/18

(प्रेमाराम पंवार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर